

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक-ख०नि०(विविध)-95/2024 (छाया संचिका) 2560/एम०, राँची, दिनांक-12.11.2025
प्रेषक,

अरवा राजकमल भा०प्र०से०
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय :- Category-I के बालूघाटों के संचालन के संबंध में।

प्रसंग :- Jharkhand Sand Mining Rules, 2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि Jharkhand Sand Mining Rules, 2025 विभागीय अधिसूचना संख्या-1111, दिनांक-09.05.2025 द्वारा राज्य सरकार के असाधारण गजट संख्या-217, दिनांक-13.05.2025 में अधिसूचित है, जिसके अनुपालन में :-

- नियम-6(III)(f) के तहत खान निदेशालय के पत्रांक-1896/एम०, राँची, दिनांक-01.08.2025 द्वारा Sand deposit of Category-I Streams/Rivers का दर 100/- रुपये प्रति 100 घनफीट निर्धारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
- नियम-6(III)(g) के तहत Receipt cum Dispatch Challan का Format इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।
- नियम-6(III)(m) के तहत Sand deposit of Category-I Streams/Rivers के बालूघाटों के प्रबंधन, समुचित प्रशासनिक व्यवस्था का कार्यान्वयन, बालू की अवैध खनन की रोकथाम तथा व्यवसायिक उद्देश्य से बालू के उठाव पर प्रभावी नियंत्रण सभी जिला उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुरोध है कि Jharkhand Sand Mining Rules, 2025 के नियम 6(III) के अनुसार Sand deposit of Category-I Streams/Rivers का संचालन सुनिश्चित किया जाय।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-

2560 /एम०, राँची, दिनांक-12.11.2025

प्रतिलिपि-अपर निदेशक, खान, राँची/सभी उप निदेशक, खान (मु० छोड़कर)/सभी जिला खनन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-

2560 /एम०, राँची, दिनांक-12.11.2025

प्रतिलिपि-विभागीय नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड स्टेट पोर्टल को उपरोक्त अनुलग्नक सहित झारखण्ड स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

सरकार के सचिव

(217)
181

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय

पत्रांक-ख०नि०(विधि)-95/2024 (छाया सचिका)

1896 / एम०, राँची, दिनांक- 01.08.2025

प्रेषक,

राहुल कुमार सिन्हा, एम.ए.सी.
निदेशक, खान।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड,
अपर निदेशक, खान, राँची,
सभी उप निदेशक, खान, झारखण्ड
सभी जिला खनन पदाधिकारी
झारखण्ड।

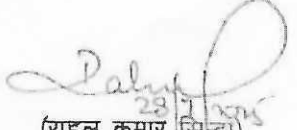
विषय :- झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025 के तहत Sand deposit of Category-1 Streams/Rivers का दर निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग :- खान निदेशालय का पत्रांक-219,, दिनांक-24.01.2018

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक राजकीय गजट संख्या-217, दिनांक-13.05.2025 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025 के नियम-6(III)(i) के तहत Sand deposit of Category-1 Streams/Rivers का दर रू० 100/- प्रति 100 घनफीट बालू निर्धारित की जाती है।

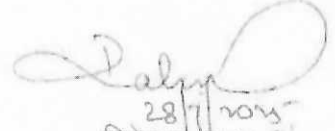
अनुलग्नक-यथोक्त।


(राहुल कुमार सिन्हा)
निदेशक, खान

ज्ञापक-

1896 / एम०, राँची, दिनांक- 01.08.2025

प्रतिलिपि-सरकार के सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


28/7/2025
निदेशक, खान।

219

मासिक प्रतिवेदन

माह—

वर्ष—

1. Category-I Streams/Rivers/बालू घाट का नाम :-

क्षेत्रफल :-

मौजा—

थाना—

प्लॉट नं०—

2. मुखिया का नाम :-

3. पंचायत स्तर समिति के सदस्यों का नाम :-

खनिज का नाम	कुल प्रेषित बालू की मात्रा (घनफीट में)	कुल वाहनों की संख्या	निर्गत किये गये कुल चालानों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	वैसे आवेदनों की संख्या, जिनको बालू की आपूर्ति की गई है	प्राप्त कुल राशि (रुपये में)	अभ्युक्ति
बालू			सं०— (Sl. No-..... से Sl. No.-.....)				

पंचायत सचिव का हस्ताक्षर

मुखिया का हस्ताक्षर

तिथि—

SAND RECEIPT-CUM-DISPATCH CHALLAN (TRIPLICATE)

To be used for carrying sand from Category-1 Streams/Rivers

[See Jharkhand Sand Mining Rules, 2025-Rule 6(III) (g)]

	बुक क्र० सं०—		पारगमन पर्ची क्र० सं०—
1.	ग्राम-पंचायत/स्थानीय स्वायत्त निकाय का नाम	:	
2.	बालू-घाट की विवरणी	:	
3.	प्रयोजनकर्ता का नाम	:	
4.	गंतव्य स्थान	:	
5.	परिवहन मार्ग (विस्तृत)	:	
6.	वाहन का प्रकार ट्रैक्टर/बैलगाड़ी/अन्य	:	
7.	वाहन पंजीकरण सं०	:	
8.	बालूघाट से बालू उठाव की तिथि	:	
9.	बालूघाट से बालू उठाव की समय	:	
10.	बालूघाट से बालू उठाव की मात्रा (घन फीट में)	:	
11.	रख-रखाव शुल्क जमा (रु० में)	:	

वाहन चालक का हस्ताक्षर

(नाम)

ग्राम-पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

(नाम)

(पद)

(मोहर)

नोट :-

1. इस बालूघाट से उठाये गये बालू का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य हेतु नहीं किया जाएगा।
2. किसी भी प्रविष्टि के साथ कोई भी छेड़छाड़ दंडनीय होगा।
3. किसी भी प्रविष्टि के बिना पारगमन पर्ची (Dispatch Challan) अवैध होगी।